



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2300]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 2016/भाद्र 30, 1938

No. 2300]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 2016/BHADRA 30, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2016

का.आ. 3012(अ).—यतः राष्ट्रीय राजमार्ग (फीस) नियम, 2008 के अनुरूप, दिनांक 18.09.2015 के आदेश संख्या एन.एच.आई.डी.सी.एल./जीएचवाई/2015-16/असम/टोल के अनुसार एन.एच.आई.डी.सी.एल. द्वारा असम राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग 37ए पर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर कालियाभोमोरा पुल पर उपयोक्ता फीस संग्रहित की जा रही है।

अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दर का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित, जी.एस.आर. 838(अ), दिनांक 05.12.2008 के अनुसार प्रकाशित, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा असम राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग 37ए पर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर कालियाभोमोरा पुल को उपयोक्ता फीस का उद्घरण करने से छूट देती है और अतः व्यापक जनहित में दिनांक 18.09.2015 के आदेश संख्या एन.एच.आई.डी.सी.एल./जीएचवाई/2015-16/असम/टोल को विखंडित करती है।

[फा. सं. एच-25016/01/2014-(टोल) Vol.-II (पार्ट)/कालियाभोमोरा ब्रिज]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2016

S.O. 3012(E).—Whereas the user fee at Kaliabhomora Bridge over river Brahmaputra on NH-37A in the State of Assam is being collected by NHIDCL vide order No. NHIDCL/GHY/2015-16/Assam/Toll, dated 18.09.2015 in accordance with the National Highways (Fees) Rules, 2008.

Now, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E), dated 05.12.2008, the Central Government hereby exempts Kaliabhomora Bridge over river Brahmaputra on NH-37A in the State of Assam from levying of user fee and hence rescinds the order No. NHIDCL/GHY/2015-16/Assam/Toll, dated 18.09.2015 in larger public interest.

[F. No. H-25016/01/2014-(Toll) Vol-II (Part)/Kaliabhomara Bridge]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.